विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3616

परिशिष्ट 01

नामान्तरण के संबंध में की गयी कार्यवाही

संस्था की भूमि सर्वे क्रमांक 77 रकबा 0.261 एवं 78/2 रकबा 0.155 हेक्टेयर के नामान्तरण हेतु संस्था व तत्कालीन परिसमापक द्वारा वर्ष 2010 में न्यायालय अपर तहसीलदार उज्जैन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था न्यायालय अपर तहसीलदार उज्जैन द्वारा संस्था का नामान्तरण प्रकरण खारिज किये जाने के कारण संस्था के वर्तमान परिसमापक द्वारा उक्त प्रकरण की अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन के समक्ष की गयी थी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन के द्वारा संस्था की अपील निरस्त की गयी। जिसके विरूद्ध संस्था के वर्तमान परिसमापक द्वारा द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय अपर आयुक्त (राजस्व) उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उक्त अपील क्रमांक 358/13 पर दर्ज होकर वर्तमान मे विचाराधीन है।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

उपायुक्त सहकारिता
जिला उज्जैन

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3616

परिशिष्ट 02

भूमि के विक्रय पत्र निरस्त करने के संबंध में परिसमापक द्वारा की गयी कार्यवाही

संस्था की भूमि के पूर्व स्वामी द्वारा फर्जी तरीके से भूमि का विक्रय अन्य व्यक्तियों को करने के संबंध में संस्था के वर्तमान परिसमापक के संज्ञान मे आने पर उनके द्वारा पुलिस थाना नरवर जिला उज्जैन में दिनांक 09.10.2012 को संबंधितो के विरूद्ध एफ.आई आर. दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन के समक्ष भी संबंधितो के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु दिनांक 10.10.2012 को आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं संस्था की भूमि के विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमांक 61–ए/13 दायर किया गया था। प्रकरण में माननीय न्यायालय सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 02 उज्जैन द्वारा संस्था के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को सही मानते हुए संबंधित कृषक द्वारा किये गये फर्जी विक्रय पत्र को अवैध व शून्य करार दिया जाकर संस्था के पक्ष मे दिनांक 26.02.2015 को निर्णय दिया गया था। भूमि के फर्जी क्रेता एवं विक्रेताओं के द्वारा दिनांक 26.02.2015 के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय एकादश अपर जिला न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष की गयी जो अपील क्रमांक 15 ए–/2015 पर दर्ज हुई। अपीलीय न्यायालय के द्वारा संस्था के पक्ष में दिये गये निर्णय को निरस्त कर अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दिया गया। संस्था के वर्तमान परिसमापक के द्वारा अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय की द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष की गयी है जो अपील क्रमांक एस.ए 13/2017 एवं अपील क्रमांक एस.ए 14/2017 पर दर्ज होकर वर्तमान में विचाराधीन है।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन,
सहकारिता विभाग

उपायुक्त सहकारिता
जिला उज्जैन